# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

जस्व वाद संख्या 124/2019

बीरबल पुत्र झाबर उम्र 61 वर्ष जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. श्रवण पुत्र मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. फूलचन्द पुत्र मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. इन्द्राज पुत्र मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. मोहन पुत्र मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. ओमप्रकाश पुत्र मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. धर्मपाल पुत्र मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. सुमित्रा पुत्री पत्नी रणजीत मुकन्दाराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर हाल निवासी नयाबास धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. विद्या पुत्री मुकन्दाराम पत्नी बाबूलाल जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर हाल निवासी जयसिंह का बास (खतीयों की ढ़ाणी) तन लोटिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू
9. बनारसी पुत्री भगवाना राम पत्नी मूलचन्द जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर हाल निवासी कुमास तन भारू तहसील व जिला झुझुनू
10. मेदू पुत्री भगवाना राम पत्नी स्व. मातूराम जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर हाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुझुनू
11. इन्द्रा देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
12. गिरधारीलाल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
13. निधी पुत्री सुभाषचन्द्र पत्नी विनोद कुमार जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर हाल निवासी खारिया तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
14. मोनिका पुत्री सुभाषचन्द्र पत्नी प्रमोद कुमार जाति मेधवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर हाल निवासी मोहल्ला कालेरा का बास, वार्ड न0 37 चूरू तहसील व जिला चूरू
15. मंजू देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति खटीक निवासी मोहल्लाल खटीकान बगड़ तहसील व जिला झुझुनू
16. इलाहाबाद बैंक शाखा झुझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि. तथा धारा 136 भू–राजस्व अधि., खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53

निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

निर्णय दिनांक 21.04.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम इन्द्रपुरा पटवार का हमीरी कलां की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 155 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 2.19 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.51 है0, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.13 है0 भूमि अवस्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 14 की खातेदारी काश्तकारी की पैतृक भूमि है जो उन्हें विरासत में वादी के दादा सुण्डाराम से प्राप्त हुई है। सुण्डाराम के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि उसके तीन पुत्र झाबर, मुकन्दाराम व भगवानाराम को प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई। झाबर के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि झाबर के पुत्र वादी व झाबर की पत्नी मोहरी देवी के हिस्से में आई जिस पर वादी अपनी माता मोहरी देवी के साथ काबिज काश्त है। मोहरी देवी के फौत होने पर उक्त सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी अकेला काबिज काश्त हुआ।

इसी प्रकार सुण्डा के मुत्र मुकुन्दाराम के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के हिस्से में आई जिस पर वे संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। इसी प्रकार सुण्डा के पुत्र भगवानाराम के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि उसके वारिसान सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के हिस्से में आई। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपने भाई सुभाषचन्द्र के हिस्से में कर दिया। जिससे सुभाषचन्द्र 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हुआ। सुभाषचन्द्र के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 के हिस्से में आई तथा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 ने अपने हिस्से की भूमि में से 864/3656 हिस्सा यानि 1.7287 है0 भूमि जयसिंह नाम व्यक्ति को विक्रय कर दी थी तथा उक्त जयसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1.7287 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 15 को विक्रय कर दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 15 अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

वादी के पिता झाबर फौत हुआ तब वादी नाबालिग था जिस कारण उक्त वादी के पिता का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी की माता मोहरी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा वादी की माता मोहरी देवी के देहान्त होने पर उसके नाम दर्ज 1/3 हिस्सा वादी के नाम ना दर्ज होकर वादी के चाचा मुकन्दाराम व भगवानाराम के वारिसों के नाम दर्ज हो गया तथा वादी को मुकन्दाराम का पुत्र बताकर 48/713 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया जबकि वादी का हिस्सा 1/3 है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां स्थित विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 155, 157, 161, 162 व 163 कुल किता 5 कुल रकबा 7.13 है0 में वादी को 1/3 हिस्सा यानि कुल भूमि में 2.376 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे। साथ ही उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बिरबल पुत्र मुकन्दा की जगह बीरबल पुत्र झाबर दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 15 मंजू देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति खटीक निवासी मोहल्ला खटीकान बगड़ ने पृथक से वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का पृथक से खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। चूंकि दोनो प्रकरण एक ही भूमि से संबंधित थे अतएव दोनो प्रकरणों को समेकित किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 ने इकबाली जवाब पेश कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी को झाबर का वारिसान के रूप में झाबर के हिस्से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... मलसीसर

जाने में कोई उजर एतराज नहीं होना जाहीर किया तथा तदनुसार वाद डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं है।

जवाब देही बंद कर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं तदनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 15 ने दौराने बहस वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 15 के हिस्से का पृथक से खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया जाकर वाद वादी स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नहीं होना अवगत कराया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा पेश किये गये इकबाली जवाब एवं विद्वान अधिवक्ता की दौराने बहस किये गये कथन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

## निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 155 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 2.19 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.51 है0, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.13 है0 में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है साथ ही उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम बीरबल पुत्र मुकन्दा के स्थान पर बीरबल पुत्र झाबर दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 15 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/- रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 15 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/4/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019 / 00462

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

### दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा

### अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

**मुकदमा नम्बर :— 124 / 2019 (बीरबल बनाम श्रवण वगैरह)**

निर्णय दिनांक :— 10.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0 / 2022 / 1143 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.06.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर